रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052021-227096 CG-DL-E-20052021-227096

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 20, 2021/वैशाख 30, 1943 No. 155] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 2021/VAISAKHA 30, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2021

फा. सं. 1(6)/2020-एसपी-1.—केंद्र सरकार ने चीनी मौसम 2020-21 के दौरान चीनी का निर्यात सुगम बनाने और इस प्रकार चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करके उन्हें चीनी मौसम 2020-21 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से चीनी के निर्यात पर हैंडलिंग, अपग्रेडिंग और अन्य कार्रवाई संबंधी लागत सहित विपणन लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत एवं माल भाड़ा प्रभारों पर किए गए व्यय हेतु चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम दिनांक 29.12.2020 की अधिसूचना संख्या 377 (फा. सं. 1(6)/2020-एसपी-I) के द्वारा अधिसूचित की थी।

- 2. अब दिनांक 29.12.2020 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 और 11 के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने 29.12.2020 को अधिसूचित उक्त स्कीम के पैरा 3 (सहायता की सीमा शीर्षक) के अंतर्गत खंड 3क को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है:
 - "3क: (i) जिन मामलों में चीनी मिलों और निर्यातकों के बीच अनुबंध/करार पर हस्ताक्षर इस अधिसूचना की तारीख को या उसके बाद किए गए हैं, केंद्र सरकार चीनी मौसम 2020-21 के लिए उन चीनी मिलों के एमएईक्यू तक सीमित चीनी के निर्यात पर व्यय के लिए एकम्श्त सहायता निम्नलिखित तरीके से प्रदान करेगी:-
- (क) लदान, उतरान और फोबिंग आदि सहित आंतरिक परिवहन और माल भाड़ा प्रभारों के लिए 2400 रुपए प्रति टन की दर से
- (ख) भारतीय पत्तन से गन्तव्य देशों के पत्तनों आदि तक शिपमेंट के प्रति समुद्री माल भाड़े हेतु 1600 रुपए प्रति टन की दर से

2724 GI/2021 (1)

- (ii) अन्य देशों को भू-सीमा शुल्क केंद्र के माध्यम से निर्यात के मामले में यह सहायता केवल उपर्युक्त पैरा-3क (i) (क) में उल्लिखित व्यय के लिए उपलब्ध होगी।"
- 3. यह अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2021

- **F. No. 1(6)/2020-SP-I.**—The Central Government, with a view to facilitate export of sugar during the sugar season 2020-21 thereby improving the liquidity position of sugar mills enabling them to clear cane price dues of farmers for sugar season 2020-21, notified the Scheme for providing assistance to sugar mills for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export of sugar vide notification No. 377(F.No. 1(6)/2020-SP-I) dated 29.12.2020.
- 2. Now in pursuance of para 9 and 11 of the said notification dated 29.12.2020, Central Government has decided to insert clause 3A under Para 3 (having heading Extent of Assistance) of the above said scheme notified on 29.12.2020:
 - "3A: (i) In those cases where contract/ agreement between sugar mill (s) and exporter(s) have been signed on or after the date of this notification, the Central Government will provide a lump sum assistance for expenses on export of sugar limited to MAEQ of sugar mills for the sugar season 2020-21 in the following manner:
- (a) For internal transport and freight charges including loading, unloading, and fobbing etc. @ Rs. 2400 per MT
- (b) For ocean freight against shipment from Indian ports to the ports of destination countries etc. @ Rs. 1600 per MT
- (ii) In case of export through land custom to other countries, this assistance shall be available only for expenses referred in Para 3A (i) (a) above".
- 3. This shall come into force from the date of notification.

SUBODH KUMAR SINGH, Jt. Secy.